

सा. का. नि. 388 :—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के खंड 14 (iv) और 23 (ii) (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा 18 अप्रैल, 1990 से बम्बई में कार्यालय सहित परिचनी क्षेत्रीय समिति संस्थापित करती है। परिचनी क्षेत्रीय समिति की संरचना कार्यकरण, सीमांकन और सदस्यता नीचे दी गई है:—

संरचना और सदस्यता

1. अध्यक्ष (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा) अध्यक्ष
श्री मोहन भाई पटेल,
अध्यक्ष,
पटेल विस्तार ग्रुप,
पो.ओ. बाबत 9032
पटेल वामक बिल्डिंग, एम्प्रेस हाईवे
गोरेगांव (ईस्ट)
बम्बई-400063.
2. शिक्षा विभाग: (एक प्रतिनिधि) सदस्य
डा. के. गोपालन,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (टी).
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।
3. श्रम मंत्रालय: (एक प्रतिनिधि)
श्री डी. एन. सोनकुवर,
निदेशक,
ए.टी.आई.आई. ट्रान्से रोड,
बम्बई।
- 4-6 प्रमुख रोजगार मंत्रालय (तीन प्रतिनिधि)
(रेलवे परिवहन, सा. का. विभाग
रक्षा, सिविल, पावर आदि)
- 7-12 राज्य तथा संघ शासित प्रदेश (प्रत्येक राज्य के एक एक प्रतिनिधि)
1. गुजरात
2. गोवा
3. मध्य प्रदेश
4. महाराष्ट्र सदस्य
तकनीकी शिक्षा निदेशक,
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई
5. संघ शासित प्रदेश:
1. दमन और दीव
2. दादरा और नागर हवेली

13-15. उद्योग, वाणिज्य और श्रम से (परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन प्रतिनिधि)

उद्योग
डा. रमाकांत देशपांडे, सदस्य
कारपोरेट सलाहकार (तकनीकी)
भारत फोर्ज लिमिटेड,
मुम्बईवा, पुणे-411030.

वाणिज्य
डा. कल्याण वैजजी, सदस्य
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक,
एकतीन, बैंक।
श्रम

श्री एन.एन. वरोट, सदस्य
अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रम संगठन,
गांधी मजदूर शिवालय, भादना

16. भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी (एक प्रतिनिधि)
श्री. वी. आर. देशपांडे, सदस्य।

प्रतिनिधि,
कुसरो वाडिया प्रौद्योगिकी संस्थान,
पुणे।

17-24 भा. प्रौ. संस्थान, के. ई. कालेज (परिषद् के अध्यक्ष प्रबंध संस्थान, राज्य इंजीनियरी द्वारा नामित किए जाने वाले प्रतिनिधि।)
कालेज, पालिटैक्निक आदि

भा. प्रौ. संस्थान
श्री. वी., नाग, प्रदेश सदस्य
निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
बम्बई।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज:

डा. जी. एन. गुरुंड, सदस्य
प्रतिनिधि,
वी. आर. सी. ई.
नागपुर-440001.

राज्य इंजीनियरी कालेज

डा. जी.पी. श्रीवास्तव, सदस्य
जी. एन. प्रौद्योगिकी संस्थान,
इंदौर

पालिटैक्निक

फादर एफ. डी. मेडो, सदस्य
प्रतिनिधि,
सैट जेवियर तकनीकी संस्थान,
बम्बई-400016.

- तकनीकी शिक्षा संस्थान:
 प्रो. के. सी. सवरवाल, पदेन सदस्य
 प्रिंसिपल,
 तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान,
 भोपाल।
 संगणक विज्ञान :
 डा. एस. रमानी, सदस्य
 राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी संस्थान,
 गुलमोरा फ़ास रोड,
 बम्बई-400049.
- वास्तुकला।
 श्री किरती शाह, पदेन सदस्य
 वास्तुकार,
 अहमदाबाद।
- 25-27 *अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड (3 प्रतिनिधि)
 28. इंजीनियर्स संस्थान (इंडिया) (एक प्रतिनिधि)
 29-30 राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड : (दो राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिषद के अध्यक्ष)
1. अध्यक्ष
 राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिषद
 महाराष्ट्र सरकार
2. अध्यक्ष, पदेन सदस्य
 राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिषद,
 गोवा सरकार।
- 31-32 प्रशिक्षुता बोर्ड : (दो बोर्डों के अध्यक्ष)
1. अध्यक्ष,
 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मद्रास,
 2. अध्यक्ष, पदेन सदस्य
 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड ब वई
- 33-34 राज्य औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड : (राज्य के क्षेत्र में दो औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड के अध्यक्ष)
1. अध्यक्ष, राज्य औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड, गुजरात। पदेन सदस्य
 2. अध्यक्ष, राज्य औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड महाराष्ट्र
35. इंजीनियरी उद्योग सघ : (एक प्रतिनिधि)
 36. विद्यार्थ समाज विज्ञानी : (एक प्रतिनिधि)
 डा. (कुमारी) ए. देसाई, सदस्य
 निदेशक,
 टाटा समाज विज्ञान संस्थान,
 देवनार, बम्बई-400088.
37. महिला के हितों की देखभाल के लिए प्रतिनिधि : (एक प्रतिनिधि)
 श्रीमती नीरा देसाई,
 भूतपूर्व एस. एन. डी. टी. विश्व-सदस्य
 विद्यालय, बम्बई।
38. ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त (एक प्रतिनिधि)
 प्रांतीयिकी के हितों की देखभाल के लिए प्रतिनिधि
 प्रो. एस. एस. कालबाग, सदस्य
 विधन्याय आश्रम,
 भारतीय शिक्षा संस्थान पयल
 जिला-पुणे-412403
39. भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी (एक प्रतिनिधि)
 अकादमी :
 डा. एस. पी. सुखातने, सदस्य
 प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियर,
 आई. आई. टी., पत्नाई, बम्बई।
40. राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना (एक प्रतिनिधि)
 प्रणाली
 डा. वी. एन. गुपचुप, सदस्य
 प्रिंसिपल,
 विक्टोरिया जुबली, तकनीकी संस्थान
 बम्बई।
41. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : (एक प्रतिनिधि)
 डा. एस. पी. गुप्ता, सदस्य
 अपर सचिव,
 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
 नई दिल्ली।
42. योजना आयोग : (एक प्रतिनिधि)
 श्री एम. आर. कोलहटकर, सदस्य
 सलाहकार (शिक्षा)
 योजना आयोग,
 नई दिल्ली
 वैकल्पिक सदस्य
 श्री एस. आर. चोपड़ा,
 उप सलाहकार (शिक्षा)
 योजना आयोग,
 नई दिल्ली।
43. *राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड : (एक प्रतिनिधि)
 44. क्षेत्रीय अधिकारी, सदस्य
 पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय,
 बम्बई।
- *टिप्पण :—इन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य पश्चिमी क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों का कार्यभार उसी दिन से संभालेंगे जब से उनकी नियुक्ति होगी।
- कार्यकरण :—नयी शिक्षा संस्थाओं, नये पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों की शुरुआत सहित विकास प्रस्तावों/योजनाओं पर कार्यवाई करना। परिषद् की सिफारिशों निर्णय का कार्यान्वयन। निम्नलिखित के साथ पारस्परिक त्रियाकलाप—(क) तकनीकी शिक्षा की राज्य संस्था (ख) राज्य औद्योगिक

बोर्ड : (ग) तकनीकी संस्थाओं की शासी निकाय (घ) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, (ङ) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान : (च) सामुदायिक पालिटेक्निक (घ) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (ज) अन्य तकनीकी संस्थान निकाय और (झ) राज्य समितियों तथा अन्य शैक्षिक संगठन/निकाय/राज्य सरकारों/राज्य जिला शिक्षा/राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय/व्यावसायिक निकाय/औद्योगिक संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

*तकनीकी संस्थाओं का सर्वेक्षण—तकनीकी जन शक्ति का मूल्यांकन-सांख्यिकी आधार का विकास -

*राज्य सरकारों के लिए भावी विकास के लिए मार्गदर्शी सूचना का संग्रह तथा प्रसारण।

कोटि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन :—

- (क) कर्मचारी विकास योजनाओं संबंधी आंकड़े एकत्र करना।
- (ख) उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों का नियोजन।
- (ग) पहले से विद्यमान तकनीकी संस्थाओं, पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का समन्वय।
- (घ) निर्धारित मानदण्डों का प्रोत्साहन और क्रियान्वयन। प्रत्यायन (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की सहायता)
- (ङ) संस्थाओं के दौरे।
- (च) कार्यक्रमों और सुविधाओं का मूल्यांकन।
- (ज) समग्र मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट।

प्रशुभ्रवण तथा मूल्यांकन

- (क) सभी केन्द्रीय योजनाएं।
- (ख) सभी राज्य योजनाएं।
- (ग) समय-समय पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को पुनः सक्रिय करना।

जनता, छात्रों, शिक्षकों आदि से पी. आर. सम्पर्क स्थापित करना भारत तथा विदेश से शिष्ट मण्डलों के लिए प्रबन्ध करना। परिषद द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। क्षेत्रों का सीमांकन :

पश्चिमी क्षेत्र :

राज्य. गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र अधशासित प्रदेश, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली।

[सं. एफ. 1-51/89-टी.डी.-5(अ.भा.त.शि.प.)]

G.S.R. 381 —In exercise of the powers conferred under Clause 14 (iv) and 23 (ii) (c) of the All India Council for Technical Education (AICTE) Act, 1987 (No. 52 of 1987) the AICTE hereby establishes the Western Regional Committee with its Office at Bombay w.e.f. 18th

April, 1990. The Composition, functions, demarcation and Membership of the Western Regional Committee will be as given below:-

Composition and Membership

1. Chairman

(to be appointed by the Chairman, All India Council for Technical Education)

Shri Mohan Bhai Patel,
Chairman,
Patel Extrusion Group,
P.O. Box No. 9037,
Patel Vamka Westn.
Express Highway,
Goregaon (East),
Bombay-400 063.

Chairman

2. Department of Education :

(One representative)

Dr. K. Gopalan,
Joint Educational Adviser (T),
Ministry of Human Resource
Development,
(Department of Education),
Shastri Bhavan,
New Delhi.

Member

3. Ministry of Labour :

(One representative)

Shri D.M. Somkuwar,
Director,
ATI-Sion,
Trombay Road,
Bombay.

Member

*4-6. Major Employment Ministries:

(Three representatives)

(Railway,
Transport, P.W.D.
Defence, Irrigation,
Power etc.)

7-12 States & Union Territories:

(One representatives from each
State & UT)

*1. Gujarat

*2. Goa

*3. Madhya Pradesh

4. Maharashtra:

Director of Technical
Education,
Government of Maharashtra,
Bombay.

Member